दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

South East Central Railway

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004

HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/10

दिनांक: 26.07.2023

प्रति,

सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 158/2023

विषय:- Waiver of recovery of excess payment made to Government servants – General instructions for Ministries/Departments – reg.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. **2022/F(E)II/6/3** दिनांक: **24.07.2023**, RBE No.**93/2023** की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	**2016/F(E)II/6/3 dt.22.06.2016, RBE No.72/2016**	**90/2016**
2.	**2022/F(E)II/6/3 dt.17.11.2022, RBE No.154/2022**	**324/2022**

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

26/7/23

(संग्राम सोरेन)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No. 93/2023

No. 2022/F(E)II/6/3 **dated** 24.07.2023

The General Manager
All Indian Railways and Production Units
(As per standard list)

Sub: Waiver of recovery of excess payment made to Government servants- General instructions for Ministries/Departments--reg.

Instructions/Guidelines on recovery of wrongful/excess payments made to Government Servants were issued by DoP&T vide their OMs No. 18/26/2011-Estt(Pay-I) dated 06.02.2014 & No. 18/03/2015-Estt.(Pay-I) dated 02.03.2016 which were adopted/circulated on the Railways vide Board's letter No. 2016/F(E)II/6/3 dated 22.06.2016. Further, DoP&T's OM No. 18/03/2015-Estt (Pay-1) dated 03.10.2022 was also adopted/circulated vide Board's letter No. 2022/F(E)II/6/3 dated 17.11.2022.

2. Now, Department of Expenditure, Ministry of Finance have issued certain instructions vide their OM No. 09(20)/2023-E.II(A) dated 01.06.2023 on the above subject. These instructions shall apply mutatis-mutandis to Railway employees also. However, 'Rule 17 of DFPR' may be read as 'Indian Railways Model SOP, 2018, as amended from time to time and any other rules/instructions/regulations applicable to Indian Railways"

3. Please acknowledge receipt.

G. Priya Sudarsani
(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.)
Railway Board

DA: As above.

No. 2022/F(E)II/6/3 **dated** 24.07.2023

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

G. Priya Sudarsani
For Member Finance, Railway Board.

No. 2022/F(E)II/6/3 **dated** 24.07.2023

Copy forwarded to Principal Financial Adviser, All Indian Railways, and Production Units etc.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीई सं. 93/2023

सं. 2022/एफ(ई)II/6/3 **नई दिल्ली, दिनांक25.07.2023**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का अधित्याग - मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेश।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 06.02.2014 के उनके का.ज्ञा. संख्या 18/26/2011-स्था.(वेतन-I) और दिनांक 02.03.2016 के सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-I) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को किए गए गलत/अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिन्हें बोर्ड के दिनांक 22.06.2016 के पत्र सं. 2016/एफ(ई)II/6/3 के अंतर्गत अंगीकार किया गया/रेलों को परिपत्रित किया गया था। इसके आगे, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2022 के का.ज्ञा. सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-1) को भी बोर्ड के दिनांक 17.11.2022 पत्र सं. 2022/एफ(ई)II/6/3 द्वारा अंगीकार किया गया/परिपत्रित किया गया था।

2. अब, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 01.06.2023 के का.ज्ञा. सं. 09(20)/2023-ई.II(ए) के अंतर्गत कतिपय अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। बहरहाल, ' डीएफपीआर के नियम 17' को "समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल मॉडल मानक कार्यपद्धति, 2018 और भारतीय रेल पर लागू कोई अन्य नियम/अनुदेश/विनियम" के रूप में पढ़ा जाए।

3. कृपया पावती दें।

जी. प्रिया सुदर्सनी

(जी. प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

No.09(20)/2023-E.II(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.II(A) Branch
***

New Delhi, the 1st June, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Waiver of recovery of excess payment made to Government servants – General instructions for Ministries/Departments – reg.

The undersigned is directed to refer to DoP&T's instructions on the subject matter and to say that all the Ministries / Department are requested to adhere to the following instructions before referring the proposals involving waiver of recovery of excess payment to this Department:

i. All proposals involving waiver of recovery of excess payment made to Government servants as covered under the guidelines issued by DoP&T should necessarily be forwarded to this Department, for consideration, by the Administrative Ministry / Department of the effected individual(s).

ii. The Ministries/ Department are required to examine such proposal(s) at first instance in terms of Rule 17 of DFPRs and it may be certified that the loss does not disclose a defect in rules or procedures. If so, the same shall be brought to the notice of Department / Ministry who has the power to amend the order. Further, it has to be certified that there has not been any serious negligence on the part of any Government servant which may call for disciplinary action by a higher authority.

iii. The matter should be referred to this Department in a self contained note duly explaining the case(s) in chronological order. The cases which are fairly and squarely covered under any one of the five situations as mentioned in DoP&T's OM dated 02.03.2016 should be recommended by the Financial Advisor and approved by the Administrative Secretary.

iv. Cases which are sub-judice should be forwarded to this Department along with the final order of the Court. The grounds for implementing / not challenging the order may be suitably justified. As such, any legal advice, if sought, may also be provided.

v. The offices / divisions where such anomalies have occurred shall indicate the steps / measures adopted by them to contain the recurrence of such lapse(s) in future. If any inquiry has been made to fix the responsibility, the final report as well as action taken by the Ministry may be furnished.

vi. This Department has observed that the wrongful pay fixation goes unnoticed for a long period of time by the concerned authorities. Ministry may furnish suitable justification as to how such cases were not noticed during regular review, internal audit etc.

2. This has the approval of the Competent Authority.

(Chandra Prakash Kushwaha)
Under Secretary to the Govt. of India

To

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. Financial Advisor of all Ministries/Departments of Government of India.

सं.09(20)/2023-ई.II(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई.II(ए) शाखा
***

नई दिल्ली, 01 जून, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी सेवकों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का अधित्याग-मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अधिक भुगतान की वसूली के अधित्याग से संबंधित प्रस्तावों को इस विभाग को भेजने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करें:

i. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा-संरक्षित सरकारी सेवकों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के अधित्याग से संबंधित समस्त प्रस्तावों को प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से इस विभाग को विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

ii. मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे प्रस्ताव (प्रस्तावों) की प्रथमतः डीएफपीआरएस के नियम-17 के अनुसार जांच की जानी अपेक्षित है तथा यह प्रमाणित किया जाए की क्षति से नियमों अथवा प्रक्रियाओं में कोई दोष प्रकट नहीं होता है। यदि ऐसा है तो, उसे उस विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसके पास उक्त आदेश को संशोधित करने की शक्ति हो। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाणित किया जाना है कि किसी सरकारी सेवक की ओर से ऐसी कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई है, जिसके लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता हो।

iii. कालक्रम के अनुसार प्रकरण (प्रकरणों) की विधिवत् व्याख्या करते हुए एक स्वतः स्पष्ट नोट में मामला इस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण, जो दिनांक 02.03.2016 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार पांच स्थितियों में से किसी एक के अधीन निष्पक्ष और निष्कपट रूप से संरक्षित हों, उन्हें वित्तीय सलाहकार द्वारा संस्तुत किया जाए तथा प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाए।

क्रमशः पृष्ठ-2/-पर

iv ऐसे मामले जो निर्णयाधीन हों, न्यायालय के अंतिम आदेश के साथ इस विभाग को अग्रेषित किए जाने चाहिए। उन कारणों, जिनके आधार पर आदेश को कार्यान्वित किया जाना हो/चुनौती न दी जानी हो, का समुचित रूप से औचित्य निर्धारित किया जाए। इस प्रकार से, यदि कोई विधिक राय ली गई हो, उसे भी मुहैया कराया जाए।

v ऐसे कार्यालय/प्रभाग, जहां ऐसी विसंगतियाँ पैदा हुई हैं, भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों की जानकारी देंगे। जवाबदेही तय करने के लिए यदि कोई जांच पड़ताल की गई है, तो मंत्रालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ की गई कार्रवाई प्रस्तुत की जाए।

vi इस विभाग ने पाया है कि दोषपूर्ण वेतन निर्धारण के मामलों में संबंधित प्राधिकारी लंबे समय तक बेखबर रहते हैं। मंत्रालय, इस संबंध में समुचित औचित्य प्रस्तुत करें कि कैसे इस प्रकार के मामले नियमित पुनरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि के दौरान नोटिस नहीं किए गए।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

चन्द्र प्रकाश

(चन्द्र प्रकाश कुशवाहा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।